



## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

संख्या :: 755/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20हरिद्वार :: दिनांक :: 26 फरवरी, 2021

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020

### अनर्ह-सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-406/XXX(2)/2021-55 (41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या-716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/ सेवा-01/2019-20, दिनांक 10 फरवरी, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020 के सापेक्ष राज्याधीन सेवा में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को प्रवक्ता के पदों पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 20 फरवरी, 2021 निर्धारित की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के सन्निरीक्षणोपरान्त मा0 आयोग द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया है :-

**श्रेणी-02** ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है, परन्तु शुल्क जमा नहीं किया गया है। अतः शुल्क जमा न करने के कारण **कुल 12 अभ्यर्थी** स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अनर्ह हैं :-

<b>LEC658958</b>	<b>LEC658959</b>	<b>LEC658960</b>	<b>LEC658961</b>	<b>LEC658962</b>	<b>LEC658963</b>
<b>LEC658964</b>	<b>LEC658965</b>	<b>LEC658967</b>	<b>LEC658970</b>	<b>LEC658971</b>	<b>LEC658972</b>

**-Sd-**  
(कर्मन्द् सिंह)  
सचिव।



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

संख्या :: 754 / 70 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-01 / 2019-20 हरिद्वार :: दिनांक :: 26 फरवरी, 2021

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020

## अर्ह-सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-406/XXX(2)/2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या-716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20, दिनांक 10 फरवरी, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा, 2020 के सापेक्ष राज्याधीन सेवा में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को प्रवक्ता के पदों पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 20 फरवरी, 2021 निर्धारित की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के सन्निरीक्षणोपरान्त मा0 आयोग द्वारा निम्नवत् अभ्यर्थियों को औपबन्धिक अर्ह घोषित किया गया है :-

**श्रेणी-01** ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं, तथा उनके द्वारा शुल्क भी जमा किया गया है। अतः **कुल 03** अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह हैं :-

**LEC658966 | LEC658968 | LEC658969**

**-Sd-**

(कर्मन्द् सिंह)  
सचिव।